दस रुपये TEN RUPEES

(28)

[illegible]

R-501-II/2012

1- [illegible] परिहार,
2- [illegible] परिहार,
दोनों [illegible],
[illegible], जिला-[illegible] उ॰प्र॰ ------ : निगरानीकर्तागण

बनाम

[illegible]
[illegible] परिहार, [illegible],
[illegible], जिला-[illegible] उ॰प्र॰ ------ : गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत [illegible] उ॰प्र॰ भू॰रा॰सं॰ [illegible]

[illegible] अधिकारी [illegible], [illegible] के रा॰वा॰ [illegible]/2006-07 में पारित आदेश दिनांक [illegible]-1-2012 के विरुद्ध निगरानी ।

श्रीमान्,

सेवा में निगरानीकर्तागण, निम्नांकित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं :-

1/- यह कि भूमि [illegible], रकबा-[illegible] हेक्टेयर, मौजा-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-[illegible] उ॰प्र॰ की भूमि निगरानीकर्तागण के [illegible] एवं [illegible] की भूमि है, जो राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्तागण के नाम [illegible] है, [illegible] भूमि [illegible] है, [illegible] विवादित भूमि के [illegible]।

2/- [illegible] भूमि [illegible] के पिता [illegible] की [illegible] भूमि नहीं है, बल्कि निगरानीकर्तागण [illegible] की पैतृक भूमि है, [illegible] [illegible]

[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-501-दो/2012   जिला - छतरपुर   कल्ला विरूद्ध सियाप्यारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक कल्ला की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदिका सियाप्यारी की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य